IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

y?kq m|ksx rFkk lsok {ks= esa oLrq ,oa lsok dj dk izHkko

T;kfr flag

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन, एकेएस विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

Mk- /khjsUnz vk>k

शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन, एकेएस विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

lkjka'k

मध्य प्रदेश में 2017 में लागू वस्तु एवं सेवा कर ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसका लघु एवं मध्यम उद्योगों पर गहरा असर पड़ा। यह वस्तु एवं सेवा कर के नतीजों, चुनौतियों और आगे की राह का एक व्यवस्थित विश्लेषण करके भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों पर इसके प्रभाव की जाँच करता है। वर्ष 2025 तक भरोसेमंद आँकड़ों पर आधारित है। इसके मुख्य निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि वस्तु एवं सेवा कर ने कर आधार को बढ़ावा मिला है और लघु एवं मध्यम उद्योगों के एक बड़े हिस्से को औपचारिक बनाया है जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के पंजीकरणों में वृद्धि हुई है और ऋण तक पहुँच बेहतर हुई है। इसने कई करों को ''एक राष्ट्र, एक कर'' से बदलकर राष्ट्रीय बाज़ार को एकीकृत किया है जिससे दक्षता में लाभ हुआ है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और अधिक पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण बना है। इस बदलाव ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अनुपालन और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। कई छोटे व्यवसायों को वस्तु एवं सेवा कर की डिजिटल और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के तहत उच्च अनुपालन लागत, कार्यशील पूंजी की कमी और अनुकूलन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह व्यवस्था इन चुनौतियों की विस्तार से पहचान करता है और वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन को बढ़ाने तथा बी2बी विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक सुझाव प्रदान करता है। इसके सुझाव में वस्तु एवं सेवा कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना (जैसे छोटे करदाताओं के लिए इनपुट क्रेडिट नियमों और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना), लघु और मध्यम उद्योगों अनुपालन के लिए सहायता प्रणालियों और प्रशिक्षण को मजबूत करना, कंपोजीशन योजना में सुधार करना, और उल्टी शुल्क संरचनाओं जैसे संरचनात्मक मुद्दों को हल करना शामिल है। निष्कर्षतः इस बात पर जोर देता है कि जहाँ वस्तु एवं सेवा कर लघु एवं मध्यम उद्योगों को अर्थव्यवस्था में औपचारिक बनाने और एकीकृत करने में फायदेमंद रहा है, वहीं निरंतर सुधार और सहायक उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि मध्य प्रदेश का लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र न केवल वस्तु एवं सेवा कर का अनुपालन करे, बल्कि वस्तु एवं सेवा कर –बाद के युग में फले–फूले इसी आशय को इस आलेख में उल्लेख किया गया है।

'kCn cht&लघु, उद्योग, सेवा, क्षेत्र, वस्तु, अनुपालन, कर, कार्यशील, पूंजी, अर्थव्यवस्था प्रभाव प्रणालियों, प्रशिक्षण आदि।

izLrkouk%&

लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं; ये मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत और देश के निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान देते हैं। लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र 2022–23 तक लगभग 110

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

मिलियन लोगों को रोज़गार भी प्रदान करता है जिससे यह कृषि के बाद रोज़गार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, मध्य प्रदेश में किसी भी बड़े आर्थिक सुधार – विशेष रूप से कराधान के क्षेत्र में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में, 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत एक युगांतरकारी क्षण था। वस्तु एवं सेवा कर ने कई केंद्रीय और राज्य करों (जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, आदि) को एक ही कर ढांचे में समाहित करके देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया; इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और मध्य प्रदेश में एक साझा बाज़ार का निर्माण करना था। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए, जिन्हें पहले करों और क्षेत्राधिकार संबंधी विभिन्नताओं के एक जटिल जाल से गुज़रना पड़ता था, वस्तु एवं सेवा कर ने एक अधिक सुव्यवस्थित कराधान व्यवस्था और आसान अंतर–राज्यीय व्यापार का वादा किया।

इसके क्रियान्वयन के बाद से लगभग आठ वर्षों में, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव अत्यंत गहरा रहा है। एक ओर, वस्तु एवं सेवा कर ने व्यवसायों के औपचारिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। देश भर में पंजीकृत वस्तु एवं सेवा कर करदाताओं की संख्या 2017 के मध्य में लगभग 6.7 मिलियन से बढ़कर 2023 तक लगभग दोगुनी होकर 14 मिलियन तक पहुँच गई है। कर आधार में इस विस्तार का श्रेय मुख्य रूप से उन लघु एवं मध्यम उद्योगों को जाता है, जो वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में शामिल हुए हैं। कई छोटे उद्योग, जो पहले अनौपचारिक रूप से या कर सीमा से नीचे रहकर काम कर रहे थे, उन्होंने व्यापक बाज़ारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुँच बनाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर को अपनाया है। विशेष रूप से, छूट सीमा से कम टर्नओवर वाली कुछ फर्मों ने भी व्यावसायिक आवश्यकताओं के चलते वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकरण करवाना उचित समझा। जैसा कि एक सरकारी थिंक टैंक द्वारा किए गए एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण में सामने आया है।

एनआईपीईपी ने पाया कि सर्वे किए गए 90 प्रतिशत से ज्यादा छोटे और सूक्ष्म उद्योगों ने टर्नओवर की परवाह किए बिना वस्तु एवं सेवा कर रजिस्ट्रेशन करवाया, अक्सर इसलिए क्योंकि बी2बी ग्राहक सिर्फ़ वस्तु एवं सेवा कर–अनुपालन करने वाले वेंडरों के साथ ही डील करने की मांग करते थे। यह कारोबारी माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहाँ प्रतिस्पर्धा के लिए वस्तु एवं सेवा कर रजिस्ट्रेशन असल में ज़रूरी हो गया है।

वस्तु एवं सेवा कर में बदलाव लघु एवं मध्यम उद्यागों के लिए बिना मुश्किलों के नहीं रहा है। वस्तु एवं सेवा कर के शुरुआती दौर में लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई अनुपालन ज़रूरतों, तकनीकी प्रणालियों और कैश–फ्लो समायोजन से जूझना पड़ा। कई लघु एवं मध्यम उद्योगों को अपने कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ा और उन्हें नई टैक्स व्यवस्था को समझने में समय और संसाधन लगाने पड़े। सरकार ने इन चिंताओं पर बार–बार प्रतिक्रिया दी है–उदाहरण के लिए, 2019 में सामान का कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए वस्तु एवं सेवा कर रजिस्ट्रेशन की सीमा रु. 20 लाख से बढ़ाकर रु.40 लाख करना और लघु और मध्यम उद्योगों पर केंद्रित कंपोजीशन स्कीम के लिए टर्नओवर की सीमा रु.1 करोड़ से बढ़ाकर रु.1.5 करोड़ करना। ऐसे उपायों का उद्देश्य सबसे छोटे व्यवसायों पर बोझ कम करना था। फिर भी, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर वस्तु एवं सेवा कर के कुल प्रभाव में सकारात्मक परिणाम (जैसे ज्यादा बाज़ार एकीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ) और चल रही चुनौतियाँ (जैसे अनुपालन का बोझ और कार्यशील पूंजी के मुद्दे) दोनों शामिल हैं।

यह शोध पत्र वस्तु एवं सेवा कर और मध्य प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों पर इसके प्रभाव का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इसकी शुरुआत अध्ययन के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली की रूपरेखा से होती है। इसके बाद यह लघु एवं मध्यम उद्योगों पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव पर चर्चा करता है जिसमें औपचारिकीकरण, अनुपालन के रुझान और आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है और इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

की जाँच की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन में सुधार करने और लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तुत करता है और अंत में समग्र टिप्पणियों के साथ समाप्त होता है। सरकारी आँकड़े और विशेषज्ञ सर्वेक्षणों सहित आधिकारिक भारतीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके, शोध अध्ययन का उद्देश्य यह समझने की एक अद्यतन और सूक्ष्म समझ प्रस्तुत करना है कि वस्तु एवं सेवा कर ने मध्य प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योग परिदृश्य को कैसे नया रूप दिया है।

mís';

- भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव का आकलन करना, जिसमें सकारात्मक परिणाम (औपचारिकीकरण, व्यापार करने में आसानी, बाज़ार तक पहुँच) और कामकाज तथा वित्त पर नकारात्मक प्रभाव दोनों शामिल हैं।
- वस्तु एवं सेवा कर के तहत भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों की पहचान करना, जैसे अनुपालन के मुद्दे, वित्तीय दबाव और क्षेत्र–विशिष्ट कठिनाइयाँ।
- वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन में सुधार करने और लघु और मध्यम उद्योग विकास का समर्थन करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करना जिसमें अनुपालन को सरल बनाने, बोझ कम करने और एक सहायक वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।

'kks/k i)fof/k %

अध्ययन के लिए प्रयुक्त विधि गुणात्मक है। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर का समायोजन जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष पड़ता है का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। अध्ययन का प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न समकालीन प्रासंगिक मानकों को प्रभावित करने वाले स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए विषय का विश्लेषण और विवेचन किया गया है।

dk;ç.kkyh %&

यह अध्ययन एक गुणात्मक कार्यप्रणाली का उपयोग करता है जिसमें वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, वित्त मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वस्तु एवं सेवा कर परिषद जैसे आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें एनआईपीईपी जैसे संगठनों जैसी परामर्श फर्मों की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारियाँ भी शामिल हैं। यह शोध वस्तु एवं सेवा कर के मध्य–2017 में लागू होने से लेकर 2025 तक की अवधि को कवर करता है जिसमें मात्रात्मक आंकड़े (जैसे, पंजीकृ त करदाता, लघु और मध्यम उद्योग पंजीकरण) और गुणात्मक जानकारियाँ (जैसे, नीतिगत दस्तावेज़, लघु और मध्यम उद्योग केस स्टडी) दोनों की जाँच की जाती है। कोई प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था; भारतीय संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर के तहत लघु और मध्यम उद्योग के अनुभवों को समझने के लिए मौजूदा सर्वेक्षण आँकड़ों का उपयोग किया गया है।

IJARSCT

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

oLrq ,oa lsok dj dk çHkko %&

वस्तु एवं सेवा कर का मध्य प्रदेश के लघु और मध्यम उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिससे कर अनुपालन, व्यवसाय के औपचारिकरण और परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है, साथ ही उन्हें व्यापक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया गया है। प्रभाव के मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं–

- वस्तु एवं सेवा कर ने कई व्यवसायों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्योग को कर प्रणाली के अंतर्गत औपचारिक रूप दिया है। वस्तु एवं सेवा कर करदाताओं की संख्या 2017 में 6.7 मिलियन से बढ़कर 2023 में 14 मिलियन हो गई जिसमें कई छोटे व्यवसाय अब व्यावसायिक विश्वसनीयता और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के लाभों के कारण स्वेच्छा से पंजीकरण करा रहे हैं। लघु और मध्यम उद्योग पंजीकरणों में भी भारी वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2017–18 में 0.5 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 15 मिलियन हो गई; यह वृद्धि वस्तु एवं सेवा कर की पारदर्शी पंजीकरण प्रणाली के कारण हुई।
- वस्तु एवं सेवा कर ने लघु और मध्यम उद्योग के बीच बेहतर कर अनुपालन को बढ़ावा दिया है जिसमें 2023–24 में 90प्रतिशत पात्र करदाताओं ने अपने रिटर्न समय पर दाखिल किए, जो 2017–18 में 68 प्रतिशत था। तिमाही रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान योजना की शुरुआत ने छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्योग को यह योजना लाभकारी लगी है। समय पर फाइलिंग दरों में वृद्धि एक मजबूत अनुपालन संस्कृति को दर्शाती है।
- वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म ने कैस्केडिंग टैक्स के असर को खत्म कर दिया है जिससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को फायदा हुआ है क्योंकि उनका असल टैक्स का बोझ कम हो गया है। छोटे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए गए ज़रूरी सामान को कम टैक्स स्लैब में रखा गया है या उन्हें टैक्स से छूट दी गई है, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो गई है। रु.1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिज़नेस के लिए कंपोजीशन स्कीम ने माइक्रो और छोटे बिज़नेस के लिए नियमों का पालन करना आसान बना दिया है, हालाँकि इसे अपनाने की दर अभी भी कम है।
- वस्तु एवं सेवा कर ने राज्य–स्तरीय व्यापार बाधाओं को खत्म करके लॉजिस्टिक्स की कुशलता में सुधार किया है। अब ट्रक हर दिन 30 प्रतिशत ज्यादा दूरी तय करते हैं जिससे सामान पहुँचाने में लगने वाला समय और लागत कम हो गई है। इससे खास तौर पर लघु एवं मध्यम उद्योगों को फायदा हुआ है, जो बहुत कम मुनाफ़े पर काम करते हैं। राज्यों के बीच की चेकपोस्ट को हटाने और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने से लघु एवं मध्यम उद्योग घरेलू और वैश्विक, दोनों बाज़ारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गए हैं।
- वस्तु एवं सेवा कर के डिजिटलीकरण से टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता बढ़ी है जिससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को वेरिफ़ाई किए जा सकने वाले वित्तीय रिकॉर्ड मिल रहे हैं। इससे औपचारिक क्रेडिट तक पहुँच आसान हो गई है; 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर को मिलने वाले बैंक क्रेडिट में साल–दर–साल 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 'वस्तु एवं सेवा कर' जैसे प्लेटफ़ॉर्म शुरू किए हैं, ताकि लघु एवं मध्यम उद्योगों को वस्तु एवं सेवा कर इनवॉइस के बदले लोन लेने में मदद मिल सके और उनकी वित्तीय क्षमता बढ़ सके।
- वस्तु एवं सेवा कर ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए एक समान अवसर पैदा किए हैं, क्योंकि अब छोटे बिज़नेस और बड़ी कंपनियाँ, दोनों ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। इससे बड़ी कंपनियाँ वस्तु एवं सेवा कर –रजिस्टर्ड लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हुई हैं जिससे नियमों का पालन करने वाले बिज़नेस के लिए बाज़ार

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, February 2026
Impact Factor: 8.2

के अवसर बढ़े हैं। वस्तु एवं सेवा कर के मानकीकरण से टैक्स आर्बिट्रेज भी कम हुआ है जिससे अब बिज़नेस के लिए जगह चुनने का फ़ैसला टैक्स बचाने के बजाय बिज़नेस की असली ज़रूरतों पर ज्यादा आधारित होता है।

oLr| ,o lok dj d vkipkfjdj.k vkj vuikyu ij l{e] y?k ,o e/;e m|kx dk çHkko

l|dr	2017–2018	2023–2024
पंजीकृत अप्रत्यक्ष करदाता	6.7 लाख	14.0 लाख
नए MSME पंजीकरण (वार्षिक)	0.5 लाख	15.0 लाख
मासिक GST रिटर्न फाइल करने वाले (GSTR&3B)	72.5 लाख (Apr 2018)	113 लाख h (Apr 2023)
समय पर रिटर्न फाइल करने की दर	68% (2017–18)	90% (2023–24)
ट्रक द्वारा तय की गई औसत दैनिक दूरी	225 km (pre-GST)	300–325 km (post-GST)

Source: Model All India GST Audit Manual 2023

तालिका में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा औपचारिकीकरण, नियमों के पालन और लॉजिस्टिक्स दक्षता में अनुभव किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को दिखाती है, जो टैक्स रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग नियमों के पालन और ऑपरेशनल उत्पादकता में एक सकारात्मक रुझान को उजागर करता है। ये बदलाव लघु एवं मध्यम उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं, जो एक अधिक एकीकृत, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाने में योगदान देते हैं।

y?k ,o eè;e m|kxk dk pukfr;k %&

वस्तु एवं सेवा कर सिस्टम भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उल्लेखनीय लाभ लेकर आया है, लेकिन बदलाव और नियमों के पालन की प्रक्रिया चुनौतियों से भरी रही है। लघु एवं मध्यम उद्योगों को नए टैक्स ढांचे के साथ तालमेल बिठाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की कुछ विशेषताओं ने अनजाने में छोटे व्यवसायों पर दबाव डाला है। वस्तु एवं सेवा कर के तहत भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं–

- लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक नियमों के पालन का बढ़ता बोझ है। वस्तु एवं सेवा कर के लिए कई रिटर्न (जैसे वस्तु एवं सेवा कर R–1, वस्तु एवं सेवा कर R–3B और वार्षिक रिटर्न) फाइल करने, डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने और बार–बार आने वाली समय–सीमाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। कई छोटे व्यवसाय औपचारिक बही–खाता रखने और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के आदी नहीं थे। एक सर्वेक्षण से पता चला कि 82 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत नियमों के पालन को जटिल और महंगा पाया। इसे संभालने के लिए, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अकाउंटेंट रखने पड़े, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने पड़े और कंप्यूटर सिस्टम में निवेश करना पड़ा। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर नियमों में बार–बार होने वाले बदलावों ने भ्रम को और बढ़ा दिया। हालाँकि, कंपोजीशन स्कीम और QRMP जैसी योजनाओं ने कुछ बोझ कम किया, फिर भी उनमें समय पर टैक्स का भुगतान करने और फाइलिंग करने की आवश्यकता थी, जिसे कई सूक्ष्म उद्योगों ने चुनौतीपूर्ण पाया।

Copyright to IJARSCT

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

- वस्तु एवं सेवा कर नियमों के पालन की डिजिटल प्रकृति ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए एक चुनौती खड़ी की है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल साक्षरता सीमित है। शुरुआती महीनों में, वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियाँ आईं जिससे देरी और निराशा हुई, खासकर जब फाइलिंग की समय–सीमा करीब आ रही थी। लघु एवं मध्यम उद्योगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए खरीद चालानों का आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए चालानों से मिलान करने की आवश्यकता के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। विपरीत पक्षों द्वारा किसी भी देरी या गलती से SME की दावा करने की क्षमता रुक सकती थी।
- वस्तु एवं सेवा कर ने कई लघु और मध्यम उद्योगों के लिए थोड़े समय के लिए रुकावटें पैदा कीं, जिससे टर्नओवर में नुकसान हुआ। इसके कारणों में कीमतों को लेकर भ्रम, पुराने स्टॉक का कम प्रतिस्पर्धी हो जाना (क्योंकि खरीदार वस्तु एवं सेवा कर से पहले के स्टॉक पर इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर पा रहे थे) और आम आर्थिक मंदी शामिल थे। एक सर्वे से पता चला कि 89 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ने वस्तु एवं सेवा कर के बाद बिक्री में गिरावट की सूचना दी; इनमें से 53 प्रतिशत को राजस्व में 10–30 प्रतिशत की गिरावट का अनुभव हुआ और 36 प्रतिशत ने 30 प्रतिशत से ज्यादा की कमी देखी। छोटे उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके क्लाइंट्स ने वस्तु एवं सेवा कर में रजिस्टर्ड न होने वाली संस्थाओं के साथ बिज़नेस करने से मना कर दिया। इस वजह से कई SME को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें कुछ बिक्री का नुकसान हो चुका था। बड़ी कंपनियाँ नियमों का पालन आसानी से कर पाईं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आगे दे पाईं, जिससे वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गईं।
- वस्तु एवं सेवा कर की एक जैसी टैक्स दर संरचना ने कुछ क्षेत्रों, खासकर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर दीं। एक उलटी ड्यूटी संरचना–जहाँ इनपुट पर टैक्स की दर आउटपुट पर टैक्स की दर से ज्यादा होती है–की वजह से कपड़ा और जूते–चप्पल जैसे क्षेत्रों में कैश फ्लो की समस्याएँ पैदा हो गईं। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक धागे जैसे कच्चे माल पर तैयार उत्पादों की तुलना में ज्यादा दरों पर टैक्स लगाया गया, जिससे क्रेडिट्स जमा होते गए और रिफंड पाने में काफी समय लगने लगा। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल ने ऐसी विसंगतियों को ठीक करने के लिए बाद में दरों में बदलाव किया है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए इसका शुरुआती असर काफी ज्यादा था। इसके अलावा, सेवाओं पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लगने से कुछ सेवा देने वालों की लागत बढ़ गई जिससे मांग में कमी आई। 2019 में सेवाओं के लिए कंपोजीशन स्कीम शुरू करने का मकसद इस समस्या को कम करना था, लेकिन इसे अपनाने वालों की संख्या सीमित रही।
- वस्तु एवं सेवा कर के शुरुआती सालों में बार–बार होने वाले नीतिगत बदलावों ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी, क्योंकि उनके पास इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कोई खास टैक्स टीम नहीं थी। दरों में बदलाव से लेकर ई–वे बिल शुरू करने और वस्तु एवं सेवा कर फॉर्म में बदलाव तक, माहौल काफी अस्थिर लग रहा था। कई लघु एवं मध्यम उद्योगों को इस बदलते सिस्टम के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई, और अपने सिस्टम या उत्पादों की कीमतों में लगातार बदलाव करने की ज़रूरत से उनमें निराशा पैदा हुई। यद्यपि 2019 के बाद से यह व्यवस्था स्थिर हो गई है, लेकिन शुरुआती दौर ने कुछ लघु एवं मध्यम उद्योगों के मन में नकारात्मक धारणा छोड़ दी है; 2023 में भी 22 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योगों ने कंप्लायंस के बोझ को एक चुनौती बताया गया है।
- वस्तु एवं सेवा कर ने ई–वे बिल, ई–इनवॉइसिंग और ऑटोमेटेड मिसमैच्ड–रिटर्न नोटिस जैसे तरीकों से कंप्लायंस को सख्ती से लागू किया है। इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों पर निगरानी बढ़ गई है; उनमें से कई को छोटी–मोटी क्लर्कियल

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

गलतियों या गलत जानकारी देने पर जुर्माना भरना पड़ा है। हालांकि इन उपायों का मकसद राजस्व की रक्षा करना है, लेकिन ये छोटे व्यवसायों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालते हैं। इसके अलावा, नकली इनवॉइसिंग से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों के कारण जांच अभियान चलाए गए, जिनमें कभी–कभी सही तरीके से काम करने वाले व्यवसाय भी सरकारी कागज़ी कार्रवाई में फंस गए। ये उपाय, हालांकि टैक्स चोरी रोकने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इन्होंने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कंप्लायंस का बोझ और बढ़ा दिया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर ने कई लघु एवं मध्यम उद्योगों को औपचारिक बनाने और कंप्लायंस को बेहतर बनाने में मदद की है, लेकिन इसने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। कंप्लायंस की जटिलता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं से लेकर वर्किंग कैपिटल की कमी और क्षेत्र–विशेष की समस्याओं तक, लघु एवं मध्यम उद्योगों को एक नई टैक्स व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना पड़ा है। नीति निर्माताओं के लिए इन चुनौतियों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे ऐसे सुधारों का मार्गदर्शन कर सकें जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि लघु एवं मध्यम उद्योगों लंबे समय में वस्तु एवं सेवा कर ढांचे का पूरा लाभ उठा सकें।

I>ko %&

वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से एक ज्यादा एकीकृत व्यावसायिक माहौल की नींव रखी गई है, लेकिन लघु एवं मध्यम उद्योगों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए इस सिस्टम में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। नीचे दिए गए रणनीतिक सुझावों का मकसद वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उनके कंप्लायंस और विकास को बढ़ावा देना है–

- लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए एक मुख्य चिंता इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की जटिलता है। इसे हल करने के लिए, सरकार को छोटे व्यवसायों के लिए इनवॉइस–मैचिंग की शर्त में ढील देने पर विचार करना चाहिए। इसमें लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके खरीद इनवॉइस के आधार पर अस्थायी रूप से ITC का दावा करने की अनुमति देना शामिल हो सकता है, बिना आपूर्तिकर्ताओं के वस्तु एवं सेवा कर R-1/वस्तु एवं सेवा कर R-2B डेटा पर पूरी तरह निर्भर हुए; कम से कम उन व्यवसायों के लिए जो एक निश्चित टर्नओवर सीमा के भीतर हैं या जिनमें विसंगति की सीमा उचित है। इस प्रक्रिया को आसान बनाकर, सरकार उन मामलों को कम कर सकती है जहाँ विक्रेता की देरी या गलतियों के कारण क्रेडिट अटक जाते हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त क्रेडिट और इनवर्टेड ड्यूटी संरचनाओं से संबंधित रिफंड दावों के निपटारे में तेजी लाने से यह सुनिश्चित होगा कि छोटे व्यवसायों का कैश फ्लो अनावश्यक रूप से न अटके।
- सरकार को लघु एवं मध्यम उद्योगों पर केंद्रित प्रावधानों, जैसे कि कंपोजीशन स्कीम को मजबूत करना चाहिए ताकि इसे अपनाने वालों की संख्या बढ़े। कंपोजीशन डीलरों के लिए अंतर–राज्यीय बिक्री पर प्रतिबंध जैसी शर्तों में ढील देने से उन छोटे व्यवसायों को फायदा हो सकता है जो कभी–कभार राज्य के बाहर से ऑर्डर लेते हैं। कंपोजीशन स्कीम के लिए टर्नओवर की सीमा (जो अभी रु. 1.5 करोड़ है) को बढ़ाने से यह सुनिश्चित होगा कि बढ़ते हुए लघु एवं मध्यम उद्योगों को समय से पहले ही पूरी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में न धकेला जाए। इसी तरह, सेवाओं के लिए 6 प्रतिशत कंपोजीशन स्कीम की सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए, खासकर सेवा क्षेत्र में बढ़ती महंगाई को देखते हुए। बहुत छोटे व्यवसायों के लिए एक 'कैश अकाउंटिंग स्कीम' शुरू करने से कैश–फ्लो से जुड़ी समस्याएं और भी आसान हो जाएंगी; इससे वे वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान तब कर पाएंगे जब उन्हें पेमेंट मिलेगा, न कि तब जब बिक्री होगी।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

- बिना किसी रुकावट के बड़ी संख्या में रिटर्न फाइलिंग को संभालने के लिए वस्तु एवं सेवा कर छ के बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश करना बहुत ज़रूरी है। छोटे करदाताओं के लिए यूजर इंटरफेस को सरल बनाना–शायद ''वस्तु एवं सेवा कर Lite मोबाइल ऐप के माध्यम से–लघु एवं मध्यम उद्योगों को नियमों का पालन करने में और भी आसानी प्रदान करेगा। छोटे शहरों में वस्तु एवं सेवा कर सुविधा केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने से नियमों के पालन में सहायता से जुड़ी उन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। अनजाने में होने वाली गलतियों या नियमों के उल्लंघन को कम करने के लिए, उद्योग संघों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों के लिए एक 'ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम' या ''सेफ हार्बर'' नियमों को लागू करने से छोटी–मोटी गलतियों के लिए जुर्माने में कमी मिल सकती है जिससे नियमों को लागू करने की प्रक्रिया कम दंडात्मक और अधिक मानवीय बन सकेगी।
- ऑडिट और प्रवर्तन का मौजूदा तरीका लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए काफी डराने वाला हो सकता है। सरकार को लघु और मध्यम उद्योग अनुकूल ऑडिट दिशा–निर्देश बनाने चाहिए, जैसे कि एक निश्चित सीमा तय करना, जिसके नीचे की गलतियों को बिना भारी जुर्माने के सुलझाया जा सके। केंद्र और राज्य कर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दोहरे ऑडिट को कम करने और दस्तावेज़ीकरण की ज़रूरतों को मानकीकृत करने से छोटे व्यवसायों के लिए ऑडिट प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अनुपालन को आसान बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को पहले से भरा हुआ रिटर्न डेटा और गलतियों के बारे में सूचनाएं देना, जिससे वे समस्याओं को समय रहते ठीक कर सकें।
- सरकार को उन 'इनवर्टेड ड्यूटी संरचनाओं' और अतार्किक दरों को ठीक करना जारी रखना चाहिए जो लघु एवं मध्यम उद्योगों पर असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ अगर इनपुट पर आउटपुट की तुलना में ज़्यादा टैक्स लगता है, तो या तो दरों में बदलाव किया जाना चाहिए या तुरंत रिफंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्तु एवं सेवा कर कानून या नियमों में कोई भी बदलाव पर्याप्त सूचना और परामर्श के बाद ही किया जाए, ताकि लघु एवं मध्यम उद्योगों को तैयारी करने का समय मिल सके। अचानक होने वाले बदलावों से होने वाली रुकावटों से बचने के लिए बदलाव की योजनाएं स्पष्ट होनी चाहिए।
- लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अनुपालन करना महंगा पड़ता है, और सरकार को इस लागत के कुछ हिस्से की भरपाई करने पर विचार करना चाहिए। एक विकल्प यह है कि वस्तु एवं सेवा कर अनुपालन से जुड़े खर्चों, जैसे कि सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सेवाओं या ऑडिट फीस के लिए टैक्स क्रेडिट या कटौती की पेशकश की जाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी जैसी प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार करने से ज्यादा से ज्यादा अनौपचारिक व्यवसाय औपचारिक रूप लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न के आधार पर कार्यशील पूंजी तक आसान पहुँच उपलब्ध कराने से लघु एवं मध्यम उद्योगों को टैक्स–अनुपालन करने के बदले सीधे वित्तीय लाभ सीधे मिल सके।
- वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार और SME हितधारकों के बीच लगातार संचार होना बहुत ज़रूरी है। लघु और मध्यम उद्योग वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर एक समर्पित उप–समिति बनाई जा सकती है जो छोटे व्यवसायों के संघों के साथ बातचीत करे; यह समिति क्षेत्र–विशेष या क्षेत्र–विशेष की चुनौतियों को सामने रखने के

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

लिए एक मंच का काम करेगी। वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ी सूचनाओं को सरल बनाने और क्षेत्रीय भाषाओं में मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध कराने से पूरे मध्य प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अनुपालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर का अनुपालन करने वाले लघु एवं मध्यम उद्योगों की सफलता की कहानियों को उजागर करने से इस प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

fu"d"k %&

मध्य प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर के औपचारिकरण में काफ़ी प्रगति हुई है; इससे लाखों छोटे बिज़नेस टैक्स के दायरे में आ गए हैं और नियमों का पालन करने की संस्कृति को बढ़ावा मिला है। कई अलग–अलग टैक्सों की जगह एक एकीकृत प्रणाली लाने से, वस्तु एवं सेवा कर ने राज्यों के बीच की रुकावटों को कम किया है और लघु और मध्यम उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय बाज़ार तैयार किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बेहतर लॉजिस्टिक्स और ज्यादा पारदर्शिता जैसे फ़ायदों ने लघु और मध्यम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक वैल्यू चेन में बेहतर ढंग से जोड़ा है।

वस्तु एवं सेवा कर के शुरुआती डिज़ाइन ने छोटे बिज़नेस पर कुछ दबाव डाला था; ज्यादा कंप्लायंस लागत, कैश–फ़्लो का दबाव और सिस्टम की जटिलताओं ने उन्हें दूसरे बिज़नेस के मुक़ाबले ज्यादा प्रभावित किया। सरकार द्वारा दी गई राहत के प्रयासों, जैसे कि टैक्स की सीमा बढ़ाना और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना, के बावजूद चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इनपुट क्रेडिट की प्रक्रियाओं को आसान बनाने, कंपोजीशन स्कीम को बेहतर बनाने और प्रोत्साहन देने जैसे रणनीतिक सुझावों का उद्देश्य लघु और मध्यम उद्योग को बेहतर सहायता प्रदान करना है। 'वस्तु एवं सेवा कर 2.0' पर चल रही चर्चा से यह संकेत मिलता है कि इसमें धीरे–धीरे सुधार किए जा रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर में सुधार करके, मध्य प्रदेश एक ऐसी टैक्स प्रणाली तैयार कर सकता है जो लघु और मध्यम उद्योग के सतत् विकास में सहायक हो और समावेशी आर्थिक विकास में अपना योगदान दे।

InHk Ikr %&

1. भायानी एस. (2024). लघु और मध्यम उद्योग पर वस्तु सेवा कर का प्रभाव : राजस्थान राज्य का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। SSRN वर्किंग पेपर, 16 नवंबर, 2024. https://ssrn-com/abstract=5023056
2. छाबरिया, एस.ए. एण्ड गाधवे (2024). वस्तु सेवा कर ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए तेज़ क्रेडिट वृद्धि कैसे सुनिश्चित की। The Economic Times. https:// economictimes.indiatimes.com
3. डिल्वायट् इण्डिया (2024). वस्तु सेवा कर सर्वेक्षण की मुख्य बातें। जैसा कि Butt, F. (2024) में उद्धृत है। GST 2.0 लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को कैसे बदल सकता है, The Economic Times 28 सितंबर, 2024,. https://economictimes.indiatimes.com
4. जीएसटी कॉउन्सिल (2019). अप्रैल 2019 से प्रभावी संशोधनरू सीमा सीमाओं में वृद्धि। [Indian Trade Portal पर सारांशित प्रेस विज्ञप्ति,। https://www.indiantradeportal.in/ से प्राप्त (मूल अधिसूचना संख्या 10/2019–केंद्रीय कर)

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, February 2026 Impact Factor: 8.2

5. कुमारी, एस.एल. (2018). भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर वस्तु सेवा कर का प्रभाव। International Journal of Economics and Social Sciences, 334–348.
6. लिचाचवी, एच. और ग्रीसमा, एम. (2021). वस्तु सेवा कर और छोटे तथा मध्यम स्तर के उद्योगों पर इसका प्रभाव : बेंगलुरु, कर्नाटक के Peenya औद्योगिक क्षेत्र का एक अध्ययन। Studies in Business and Economics, 16(1), 81–94.
7. National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP). (2022). वस्तु सेवा कर व्यवस्था में वस्तु सेवा कर : क्षेत्रीय सर्वेक्षण के परिणाम। नई दिल्ली : NIPFP- https://nipfp.org.in
8. न्यूडिगम (2024). भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर वस्तु सेवा कर क्रेडिट और पंजीकरण पर प्रभाव। विश्लेषण रिपोर्ट,। https://economictimes.indiatimes.com
9. पाबीथरा, के. एम. (2025). NITI आयोग की रिपोर्ट में MSMEs की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। https://factly.in/niti-aayogs-report-makes-multiple-recommendations-for-enhancing-competitiveness-of-msmes/ से लिया गया।
10. प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (2023) 5 सालों में वस्तु सेवा कर रिटर्न भरने वालों की संख्या 65: बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई; 90 प्रतिशत लोग समय पर टैक्स पेमेंट फ़ॉर्म भर रहे हैं। The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com
11. प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (2023, 27 जुलाई)। सात साल की गड़बड़ी : वस्तु सेवा कर में हो रही चोरी को रोकने के लिए सरकार की लड़ाई की अंदर की कहानी। The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com से लिया गया।
12. प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (2024) लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने में वस्तु सेवा कर ने अहम भूमिका निभाई : आर्थिक सर्वेक्षण। The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com से लिया गया।
13. सुब्रमण्य नाथन, एम.(2020) सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों पर वस्तु सेवा कर का असर। Tax Bulletin, 61, 1-5. The Institute of Cost Accountants of India.

*****